

Title: Providing Computerised Ticket Service Providers (CTSP) licence to eligible persons in Mumbai.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, सन् 2000 में कम्प्यूटराइज़्ड टिकट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइसेंस नीति बनी थी। इस नीति का उद्देश्य था कि सामान्य यात्रियों को स्टेशन से दूर रहकर भी आरक्षण की सुविधा हो और रेलवे के ऊपर आरक्षण का बोझ कम हो। मुंबई में पॉयलट प्रोजेक्ट तीन लोगों को दिया गया था। मई, 2003 में पॉयलट प्रोजेक्ट का कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन अभी तक टेंडर भरे हुए एजेंटों को सीटीएसपीएल नहीं मिला। मुंबई हाई कोर्ट ने भी रेलवे बोर्ड को आदेश दिया है लेकिन रेलवे बोर्ड उसकी अवमानना कर रहा है।

मुंबई सेन्ट्रल में स्टेशन पर 35 आरक्षण काउन्टर हैं लेकिन स्टेशन के पास ही एक सी टी एस पी एल के चार कम्प्यूटर हैं। यह पॉलिसी के विरुद्ध है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती है कि जल्दी से जल्दी जितने पात्र लोग हैं, उनको सीटीएसपीएल का लाइसेंस मुंबई में दिया जाए और कोर्ट का मान रखा जाए।